

परिशिष्ट-1

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग (फोरलेन) भोपाल से जबलपुर रा.रा.-12 पैकेज 3, 4 एवं 5 के अंतर्गत आने वाले तीनों टोल प्लाजाओं के संचालन हेतु पी.आई.यू. एनएचएआई, भोपाल के अंतर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

टोल प्लाजा का नाम	पैकेज नंबर	टोल प्लाजा का चेनेज/किमी (रा.रा.12)	टोल संग्रहणकर्ता कंपनी का नाम	अनुबंध अवधि
खिरिया	3	165.150	मेसर्स वंशिका कंस्ट्रक्शन	16/02/2022 से
हर्शिली	4	210.500		15/05/2022 तक
विशनखेड़ा	5	283.600	मेसर्स अमित खामपारिया	15/01/2022 से 14/04/2022 तक

टोल प्लाजाओं पर वर्ष 2020-21 हेतु भा.रा.रा.प्रा. क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के पत्र दिनांक 15/02/2022 (खिरिया), दिनांक 22/12/2021 (हर्शिली) एवं दिनांक 27/08/2021 (विशनखेड़ा) द्वारा स्वीकृत दर के अनुसार ही टोल वसूली की जा रही है **जानकारी पुसतकालय में रखे परिशिष्ट-अ एवं प्रपत्र-1 अनुसार।** सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3358(अ) दिनांक 17/08/2021 (विशनखेड़ा), क्रमांक का.आ. 4900(अ) दिनांक 29/11/2021 (हर्शिली) एवं क्रमांक का.आ. 4881(अ) दिनांक 23/11/2021 (खिरिया) **जानकारी पुसतकालय में रखे प्रपत्र-2 अनुसार।** की धारा 11 के तहत पूंजी लागत वसूल होने के पश्चात लगाये जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया जायेगा एवं तदानुसार संशोधित दरों पर मार्ग के संधारण हेतु निरंतर टोल वसूली की जावेगी। जबलपुर-हिरण रीवर (पैकेज-1):- जबलपुर जिला के शहपुरा ग्राम के कि.मी. 25.00 पर टोल वसूली कार्य किया जाना है। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुख्यालय नई दिल्ली, द्वारा जबलपुर टोलस जबलपुर, को दिनांक 20.12.2021 को 03 माह के लिए LOA जारी किया गया है। मुख्यालय नई दिल्ली, में एजेंसी के साथ अनुबंध में हस्ताक्षर के उपरांत, 15 मार्च 2022 तक टोल प्रारंभ होने की संभावना है। हिरण रीवर से सिंदूर रीवर (पैकेज-2) (11.92 कि.मी. नौरादेही भाग को छोड़कर)- इस मार्ग का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इकाई जबलपुर, के द्वारा कराया जा रहा है। नरसिंहपुर जिला के सारसडोल ग्राम के कि.मी. 101.600 पर टोल वसूली कार्य किया जाना है। वर्तमान में मार्ग निर्माण का कार्य प्रगति पर है, 30 अप्रैल 2022 तक टोल प्रारंभ होने की संभावना है। 11.92 कि.मी. वाले भाग में निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे अनुबंधानुसार माह जुलाई 2023 तक उक्त कार्य पूर्ण किया जाना है।

(ख) जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर - वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता है, उसके लिए वर्ष 2021-22 के लिए प्रत्येक टोल प्लाजा के लिए मासिक पास की दर 285.00 रूपए (दो सौ पच्चासी रूपए मात्र) है जो संबंधित टोल प्लाजा पर संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है और राष्ट्रीय

राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जावेगा।

- (ग) फरवरी, 22 की स्थिति में भोपाल-जबलपुर मार्ग पर संचालित टोल निम्नानुसार है:- (1) विशनखेड़ा टोल दिनांक 19/09/2021 प्रातः 08:00 बजे से (2) हर्शिली टोल दिनांक 16/02/2022 प्रातः 08:00 बजे से (3) खिरिया टोल दिनांक 16/02/2022 प्रातः 08:00 बजे से उक्त टोल प्लाजाओं पर फास्टैग से भुगतान होने के 2-5 सेकण्ड बाद स्वतः ही बूम बैरियर खुल जाता है।
- (घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी.आई.यू. जबलपुर, के अंतर्गत, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-12, भोपाल से जबलपुर मार्ग पर दो स्थलों में टोल की वसूली प्रारंभ होनी है. विवरण निम्नानुसार है:-

पैकेज का नाम	टोल प्लाजा का नाम	टोल प्लाजा प्रारंभ होने की संभावित तिथि	रिमार्क
जबलपुर-हिरण रीवर (पैकेज-1)	शहपुरा (जबलपुर) कि.मी. 25.00	15.03.2022	उक्त मार्ग का निर्माण म.प्र. सड़क विकास प्राधिकरण के द्वारा कराया जा रहा है, पूर्णता उपरांत भाराराप्रा द्वारा, भारत शासन के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में मात्र टोल संग्रहण का कार्य संपादित कराया जावेगा।
हिरण रीवर से सिंदूर रीवर (पैकेज-2) (11.92 कि.मी. नौरादेही भाग को छोड़कर)	सारसडोल (नरसिंहपुर) कि.मी. 101.600	30.04.2022	उक्त मार्ग के प्रथम चरण में कि.मी. 78.00 से कि.मी. 130.00 तक का कार्य पूर्ण होने पर टोल संग्रहण प्रारंभ किया जावेगा, द्वितीय चरण में नौरादेही वन्य प्राणी अभ्यारण का कार्य माह जुलाई 2023 तक पूर्ण होने के उपरांत उक्त भाग का टोल सारसडोल प्लाजा पर ही संग्रहित किया जावेगा।

टोल प्लाजा में, साफ सफाई, वाहनों के प्रवेश एवं निकासी की सुगम व्यवस्था के साथ, पेयजल एवं शौचालय की भी व्यवस्था की गई है।



अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग